

समाहरणालय, गोपालगंज
(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)
अधिसूचना

संख्या - आर० दिनांक -

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-शंकरपुर थाना नं० - 347, थाना- गोपालगंज, परगना-मड़हल, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महम्मदपुर-छपरा पथ के चौड़ीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिधोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- शंकरपुर थाना नं०- 347, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 01-9775 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

खेसरा नं०- 799 अंश, 801 अंश, 831 अंश, 830अंश, 829 अंश, 823 अंश, 822 अंश, 822/1733 अंश, 911 अंश, 890 अंश, 889 अंश, 891 अंश, 887 अंश, 886 अंश, 885 अंश, 879 अंश, 878 अंश, 868 अंश, 867 पूर्ण, 864 अंश, 863 अंश, 862 अंश, 861 अंश, 859 अंश, 858 अंश, 857 अंश, 856 अंश, 855 अंश, 850 अंश, 848 अंश, 847 अंश, 841 अंश, 835 अंश, 852 अंश।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है :-

उत्तर :- 799 अंश, 800 अंश, 801 अंश, 831 अंश, 830 अंश, 829 अंश, 823 अंश, 822 अंश, 822/1733 अंश, 889 अंश, 887 अंश, 886 अंश, 885 अंश, 879 अंश, 878 अंश, 866 अंश, 868 अंश।

दक्षिण:- 835 अंश, 841 अंश, 847 अंश, 848 अंश, 850 अंश, 851 अंश, 852 अंश, 857 अंश, 858 अंश, 859 अंश, 861 अंश, 862 अंश, 866 अंश, 864 अंश, 865 अंश

पूरब :- सिवाना सिरसा थाना नं० 340 एवं सिवाना रामगढ़ थाना नं० 341।


पश्चिम:- सिवाना महुआ थाना नं० 350।

यह अधिसूचना भू- अर्जन अधिनियम - 1894 यथा संशोधित - 1984 की धारा - 4 के उपबंधों के अधिन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाली भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्ता गोपालगंज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप महाप्रबंधक (तकनीकी), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, हाजीपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा- 2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि यह भू-अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू-अर्जन अधिनियम - 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए इस मामले में लागू नहीं होगी।


समाहर्ता
गोपालगंज।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पथ)-122/2012-3017...../रा०, पटना-15, दिनांक-21/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ॐ